संख्या-283/2023/2610/009-23-9-2023-23-9002(001)/36/2023

प्रेषक,

शिव कुमार
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ:: दिनांक 01 दिसम्बर, 2023**

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ के 02 चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित विभिन्न तिथियों के पत्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ के 02 चालू कार्यो हेतु तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 19,52,000/- (रूपये उन्नीस लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागत/ अनुरक्षण लागत/कुल स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/ गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	6866/CE-HQ1/RIDF27/ AZM/2023-24 Dt- 29-11-2023	प्रा.ख. आजमगढ़	मेघईखास यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	167/2022/1448/ 23-9-2022-12नाबार्डस-0मा0-19टीसी1-दिनांक-16-11-2022	63.69 5.81 69.50 69.50 51.87	2.04	67.46	51.52	15.94	10.13
2	6866/CE-HQ1/RIDF27/ AZM/2023-24 Dt- 29-11-2023	प्रा.ख. आजमगढ़	जमींन बेलारी सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	167/2022/1448/ 23-9-2022-12नाबार्डस-0मा0-19टीसी1-दिनांक-16-11-2022	55.24 5.03 60.27 60.27 44.49	1.17	44.49	44.68	14.42	9.39
									योग	**19.52**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,52,000 (रुपये उन्नीस लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376400 नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

संख्या-283/2023/2610/009-23-9-2023-23-9002(001)/36/2023

प्रेषक,

शिव कुमार
अनु सचिव,
उ0प्र0शासन

सेवा में,

प्रमुख अभियन्ता (विकास) एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ

लोक निर्माण अनुभाग-9 **लखनऊ:: दिनांक 01 दिसम्बर, 2023**

विषय - वित्तीय वर्ष 2023-24 में अनुदान संख्या-58 के अन्तर्गत आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ के 02 चालू कार्यो पर धनराशि आवंटित किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मुख्य अभियंता(मु-1), लोक निर्माण विभाग, लखनऊ के पत्रों(निम्न तालिका के कॉलम-2 में उल्लिखित विभिन्न तिथियों के पत्र) के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निम्न विवरणानुसार आर0आई0डी0एफ0 योजनान्तर्गत जनपद आजमगढ़ के 02 चालू कार्यो हेतु तालिका के स्तम्भ-5 में उल्लिखित शासनादेश द्वारा निर्गत प्रशासकीय एवं वित्तीय स्वीकृति के क्रम में उक्त चालू कार्यो पर वित्तीय वर्ष 2023-24 में तालिका के स्तम्भ-11 के अनुसार रू0 19,52,000/- (रूपये उन्नीस लाख बावन हजार मात्र) की धनराशि अवमुक्त किये जाने की श्री राज्यपाल सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते करते हैं :- **(धनराशि रू0 लाख में)**

क्र0 सं0	मुख्य अभियंता(मु0-1) लो0नि0वि0 का पत्र	खण्ड/ जनपद का नाम	मार्ग का नाम	स्वीकृति का शासनादेश संख्या	निर्माण लागत/ अनुरक्षण लागत/कुल स्वीकृत लागत/प्राविधिक लागत/ गठित अनुबन्ध की लागत	गठित अनुबन्ध के आधार पर बचत	बचत के उपरान्त कार्य की लागत	अब तक आवंटन	अवशेष	वित्तीय वर्ष 2023-24 में अवमुक्त धनराशि
1	**2**	**3**	**4**	**5**	**6**	**7**	**8**	**9**	**10**	**11**
1	6866/CE-HQ1/RIDF27/ AZM/2023-24 Dt- 29-11-2023	प्रा.ख. आजमगढ़	मेघईखास यादव बस्ती सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	167/2022/1448/ 23-9-2022-12नाबार्डस-0मा0-19टीसी1-दिनांक-16-11-2022	63.69 5.81 69.50 69.50 51.87	2.04	67.46	51.52	15.94	10.13
2	6866/CE-HQ1/RIDF27/ AZM/2023-24 Dt- 29-11-2023	प्रा.ख. आजमगढ़	जमींन बेलारी सम्पर्क मार्ग के नवनिर्माण का कार्य।	167/2022/1448/ 23-9-2022-12नाबार्डस-0मा0-19टीसी1-दिनांक-16-11-2022	55.24 5.03 60.27 60.27 44.49	1.17	44.49	44.68	14.42	9.39
									योग	**19.52**

नियम व शर्तें / प्रतिबन्धों

(1) उक्त धनराशि केवल अंकित परियोजना पर ही मानक व विशिष्टियों के अनुरूप व्यय की जायेगी तथा इस उपयोग अन्य किसी प्रयोजन के लिए नहीं किया जायेगा।

(2) उक्त मार्गों को निर्धारित मानकों के अनुसार गुणवत्तापरक पूर्ण कराकर उपयोगिता प्रमाण-पत्र एवं फोटोग्राफ शासन को उपलब्ध कराया जाय।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

(3) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या -2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक 17 मार्च, 2023 में दिये गये दिशा निर्देशों का अक्षरश: अनुपालन सुनिश्चित किया जायेगा।

(4) स्तम्भ -5 में अंकित शासनादेशों की शेष शर्तें यथावत रहेंगी।

(5) लोक निर्माण विभाग में वर्तमान में प्रचलित व्यवस्थानुसार बजट का ऑनलाईन आवंटन किये जाने हेतु डी.डी.ओ. कोड आवंटन विषयक वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के शासनादेश सं.-10/2022/बी-1-345/दस-2022, दिनांक 04.05.2022 निर्गत किया गया है। अत: अब समस्त धनराशि का आहरण-वितरण सम्बन्धी कार्य, आहरण-वितरण अधिकारी द्वारा वित्तीय हस्तपुस्तिका भाग-6 में निहित प्राविधानों एवं सम्बन्धित वित्तीय नियमों/शासनादेशों व उक्त शासनादेश दिनांक 04.05.2022 में निहित व्यवस्था के अधीन किया जायेगा।

2- इस संबंध में होने वाला व्यय रुपये 19,52,000 (रुपये उन्नीस लाख बावन हजार मात्र) को चालू वित्तीय वर्ष 2023-24 के आय-व्ययक मे **अनुदान संख्या** 058 **लेखा शीर्षक** 5054043376400 नाबार्ड वित्त पोषित आर आई डी एफ योजना अन्तर्गत कृषि विपणन सुविधाओं हेतु सम्पर्क मार्गों/लघु सेतुओं के चालू कार्यों हेतु व्यवस्था (जिला योजना) **मानक मद** 24 वृहत् निर्माण कार्य के नामे डाला जायेगा।

3- यह आदेश वित्त (आय - व्ययक) अनुभाग - 1 के कार्यालय ज्ञाप संख्या - 2/2023/बी-1-227/दस-2023-231/2023, दिनांक- 17-मार्च, 2023 में प्रशासकीय विभाग को उक्तवत प्रतिनिधानित अधिकार के अंतर्गत निर्गत किये जा रहे है।

भवदीय,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

<u>संख्या- उपरोक्त एवं तददिनांक।</u>

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -:

1- महालेखाकार, प्रथम (निर्माण), उ0प्र0 प्रयागराज ।
2- जिलाधिकारी, संबंधित जनपद।
3- नोडल अधिकारी, बजट आवंटन प्रणाली, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0शासन।
4- निदेशक, कोषागार, उ0प्र0 लखनऊ।
5- वरिष्ठ कोषाधिकारी, संबंधित जनपद।
6- महाप्रबन्धक, राष्ट्रीय कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक, उ0प्र0 क्षेत्रीय कार्यालय, 11 विपिन खण्ड, गोमती नगर, लखनऊ।
7- मुख्य अभियन्ता (मु0-1), लो0नि0वि0, लखनऊ।
8- वित्त नियंत्रक, लोक निर्माण विभाग, उ0प्र0 लखनऊ।
9- संबंधित क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता, लोक निर्माण विभाग।
10- संबंधित खण्ड के अधिशासी अभियन्ता , लो0नि0वि0।
11- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-8 /वित्त (आय-व्ययक), अनुभाग-2, उ0प्र0शासन ।
12- लोक निर्माण अनुभाग-10/श्रम अनुभाग-2
13- गार्ड फाइल ।

आज्ञा से,

शिव कुमार
अनु सचिव।
उ0प्र0 शासन।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in